

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:- 82/17

दर्ज दिनांक:- 30.05.2017

जी.सी.एम.एस.नं.- 2017/00162

निर्णय दिनांक:- 16.02.2022

- 1- रामेश्वरलाल पुत्र भूदाराम जाति जाट निवासी खेदड़ो की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ़
- 2- भागोती पत्नी शिवकरण सिंह जाति जाट निवासी खेदड़ो की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ़
- 3- बनवारी लाल पुत्र शिवकरण सिंह जाति जाट निवासी खेदड़ो की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ़

वादीगण

बनाम

- 1- रामप्रताप पुत्र रतु जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 2- मंगलचन्द पुत्र रतु जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 3- करनीराम पुत्र रतु जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 4- नन्दराम पुत्र परतु जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 5- रामजीलाल पुत्र परतु जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 6- नौरंग पुत्र शोभाराम जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 7- गुमानी पत्नी जालू जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 8- किशोर पुत्र जालू जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 9- सन्तोष पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 10- महिपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 11- महेन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 12- नारान पुत्र घड़सी जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 13- रामेश्वर पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 14- काना पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 15- रामकरण पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 16- विजेन्द्र पुत्र झाबर जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 17- शांति देवी पत्नी झाबर जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 18- जिनकू देवी पत्नी भगवाना जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़
- 19- नौरंग पुत्र झाबर जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 20- विधाधर पुत्र झाबर जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 21- नन्दलाल पुत्र झाबर जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 22- श्रवण पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 23- सुमेर पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 24- विस्तुरी पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
- 25- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
- 26- तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)



रामसिंह
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

वाद बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 16.02.2022

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम खेदड़ों की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ की सरहद में एक भूदा उर्फ बुधा नामक व्यक्ति हुआ जिसका देहान्त हो चुका है। भूदा उर्फ बुधा का सजरा खानदान निम्न प्रकार से हैं-

ग्राम धमोरा पटवार हल्का धमोरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नं० 465 रकबा 1.78 है० है जिसका खाता सं० 182 है। उपरोक्त भूमि स्वर्गीय भूराराम की खातेदारी की पैत्रिक भूमि थी। स्व० भूराराम का सजरा निम्न प्रकार है।

भूदा उर्फ बुधा (फौत)

रतु उर्फ रता (फौत)	शिवकरण (फौत)	रामेश्वराम (पत्नी फौत)
रामप्रताप (प्रतिवादी नं० 1)	मंगलचन्द्र करणीराम	भागोती बनवारी

इस प्रकार स्व० बुधा के तीन पुत्र सन्तान हुई थी जिसमें भूदा उर्फ बुधा सबसे बड़ा बेटा रतु उर्फ रता उससे छोटा शिवकरण व उससे छोटा वादी रामेश्वर हुये थे। जिसमें रतु उर्फ रता की मौत हो चुकी है। जिसके तीन पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है तथा शिवकरण की भी फौत हो चुकी है। शिवकरण के एक पुत्र वादी संख्या 3 व वादी संख्या 2 वैध उत्तराधिकारी हैं। स्व० भूदा उर्फ बुधा के तीनों पुत्र वैध उत्तराधिकारी थे तथा भूदा उर्फ बुधा की मृत्यू होने भूदा उर्फ बुधा की सम्पति में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 व वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/3 उत्तराधिकार में प्राप्त होता है तथा वादीगण व प्रतिवादी इसी अनुसार कब्जा काश्त हैं। ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नं० 107 रकबा 0.0600 है०, खसरा नम्बर 108 रकबा 3.9900 है०, खसरा नम्बर 1132/98 रकबा 0.1100 है० कुल किता 3 कुल रकबा 4.1600 है० अवस्थित हैं। उक्त भूमियों के पुराना खसरा नम्बर 18/1, 17, 20, 18/2 थे जिनका पहले खातेदार काश्तकार भूदा उर्फ बुधा खातेदार काश्तकार था जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 व 2015 से 2017 तक है। ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 2.4500 है०, खसरा नम्बर 105 रकबा 2.4700 है०, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.6500 है०, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.0500 है०, खसरा नम्बर 112 रकबा 1.1900 है० कुल किता 5 कुल रकबा 9.8100 है० अवस्थित है उक्त भूमियों के पुराने खसरा नम्बर 134 थे जिसका पूर्व में खातेदार काश्कार भूदा उर्फ बुधा था जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 व 2015 से 2017 की जमाबन्दी में बुधा का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। स्व० भूदा उर्फ बुधा के देहान्त हो जाने के बाद स्व० भूदा उर्फ बुधा की सम्पति वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है तथा लांट बांट करते चले आ रहे है। स्व० भूदा उर्फ बुधा के देहान्त हो जाने के बाद स्व० भूदा उर्फ बुधा की सम्पति में तीनों उत्तराधिकारियों को भूदा उर्फ बुधा की सम्पति में से 1/3, 1/3 हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था तथा इसी अनुसार भूदा उर्फ बुधा के उत्तराधिकारी कब्जा काश्त हो गये। स्व० भूदा उर्फ बुधा के देहान्त के समय वादी संख्या 1 का पूर्वज


२५६
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (मुन्डुनू)

नाबालिंग था तथा वादी संख्या 2 व 3 का पूर्वज भी उस समय छोटा बालक था जो राजस्व रिकार्ड का ज्यादा ध्यान नहीं था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का पिता परिवार का कर्ता धर्ता था तथा बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था जो स्व० भूदा उर्फ बुधा के देहान्त के बाद विरासत में प्राप्त भूमियों का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा मौके पर भाईयों ने आपस में भूमियों का अपने हिस्से अनुसार अपनी भूमियों पर कब्जा काश्त व लांट बांट करना चालू कर दिया तथा वादीगण के पूर्वज से समय समय पर माल भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज को देते थे। प्रतिवादीगण गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में वादीगण के हक व अधिकार पर कुठाराघात करने पर आमादा है। इसलिए यह दाव रिकार्ड दुरुस्ती व घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। अन्त में निवेदन है कि ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नं० 107 रकबा 0.0600 है०, खसरा नम्बर 108 रकबा 3.9900 है०, खसरा नम्बर 1132/98 रकबा 0.1100 है० कुल किता 3 कुल रकबा 4.1600 है० में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/64 व वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 1/64 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/64 भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 2.4500 है०, खसरा नम्बर 105 रकबा 2.4700 है०, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.6500 है०, खसरा नम्बर 111 रकबा रकबा 1.0500 है०, खसरा नम्बर 112 रकबा 1.1900 है० कुल किता 5 कुल रकबा 9.8100 है० में से वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/24 व वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 1/24 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी संख्या 26 को आदेश फरमाया जावे।

वाद पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रतिवादी नं० 1 लगायत 26 बावजूद तामिल सूचना व बार-बार आवाज दिलाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्षवादी में रामेश्वरलाल, भागोती, नौरंग ने शपथ-पत्र पेश किये।

वाद पत्र में बहस अंतिम इकतरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण के हक में वादपत्र डिकी किये जाने का निवेदन किया।


पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर के पुराने भूमि खसरा नम्बर 18/1, 17, 20, 18/2 थे जिनका पहले खातेदार काश्तकार भूदा उर्फ बुधा खातेदार काश्तकार था जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 व 2015 से 2017 तक है। उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 107 रकबा 0.0600 है०, खसरा नम्बर 108 रकबा 3.9900 है०, खसरा नम्बर 1132/98 रकबा 0.1100 है० कुल किता 3 कुल रकबा 4.1600 है० बने जिनमें रतु पुत्र बुद्धा का हिस्सा 3/64 है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र के सजरा खानदान, गवाहान के साक्ष्य तथा सरपंच ग्राम पंचायत सिंगनौर के प्रमाण-पत्र के अनुसार भूदा के वारिसान रतु एवं वादी नं० 1 तथा वादीगण नं० 2 व 3 है। अतः वादी नं० का हिस्सा 1/64 तथा वादीगण नं० 1 व 2 का हिस्सा 1/64 बनता है तथा उक्त खसरा नम्बरान में रतु का हिस्सा 3/64 के बजाय 1/64 रह जावेगा। ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर के पुराने भूमि खसरा नम्बर 134 थे जिसका पूर्व में खातेदार काश्कार भूदा उर्फ बुधा था जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 व 2015 से 2017 की जमाबन्दी में बुधा का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त पुराने खसरा नम्बर के नये भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 2.4500 है०, खसरा नम्बर 105 रकबा 2.4700 है०, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.6500 है०, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.0500 है०, खसरा नम्बर 112 रकबा 1.1900 है० कुल किता 5 कुल रकबा 9.8100 है० बने जिसमें वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में रतु पुत्र बुदा जाति जाट का हिस्सा 1/8 है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र के सजरा खानदान, गवाहान के साक्ष्य तथा सरपंच ग्राम पंचायत सिंगनौर के प्रमाण-पत्र के अनुसार भूदा के वारिसान रतु एवं वादी नं० 1 तथा वादीगण नं० 2 व 3 है। अतः वादी नं० का हिस्सा 1/24 तथा वादीगण नं० 1 व 2 का हिस्सा 1/24 बनता है तथा उक्त खसरा नम्बरान में रतु पुत्र बुदा का हिस्सा 1/8 के बजाय 1/24 रह जावेगा।


 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी (सुन्तुनै)

पत्रावली के अवलोकन एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वादीगण का वादपत्र साबित होता है तथा ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नं० 107 रकबा 0.0600 है०, खसरा नम्बर 108 रकबा 3.9900 है०, खसरा नम्बर 1132/98 रकबा 0.1100 है० कुल किता 3 कुल रकबा 4.1600 है० में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/64 व वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 1/64 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रतु पुत्र बुद्धा का हिस्सा 3/64 के बजाय 1/64 तथा भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 2.4500 है०, खसरा नम्बर 105 रकबा 2.4700 है०, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.6500 है०, खसरा नम्बर 111 रकबा रकबा 1.0500 है०, खसरा नम्बर 112 रकबा 1.1900 है० कुल किता 5 कुल रकबा 9.8100 है० में से वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/24 व वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 1/24 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रतु पुत्र बुद्धा का हिस्सा 1/8 की बजाय 1/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नं० 107 रकबा 0.0600 है०, खसरा नम्बर 108 रकबा 3.9900 है०, खसरा नम्बर 1132/98 रकबा 0.1100 है० कुल किता 3 कुल रकबा 4.1600 है० में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/64 व वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 1/64 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रतु पुत्र बुद्धा का हिस्सा 3/64 के बजाय 1/64 तथा भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 2.4500 है०, खसरा नम्बर 105 रकबा 2.4700 है०, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.6500 है०, खसरा नम्बर 111 रकबा रकबा 1.0500 है०, खसरा नम्बर 112 रकबा 1.1900 है० कुल किता 5 कुल रकबा 9.8100 है० में से वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/24 व वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 1/24 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रतु पुत्र बुद्धा का हिस्सा 1/8 की बजाय 1/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। शेष खाता यथावत रहेगा।



निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/2/22
उपखण्ड अधिकारी
(समसिंह राजावत)
उदयपुर उदयपुरवाटी

16/2/22
उपखण्ड अधिकारी
(समसिंह राजावत)
उदयपुर उदयपुरवाटी